प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

1. **समस्त मण्डलीय अपर निदेशक,** चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
2. **समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,** उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः—एस.पी.एम.यू. / एन.एच.एम. / एम.एण्ड ई. / 2019—20 / 16 / 3456-2 दिनांकः 16-07-19

विषयः—चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों की दिनांक 09.07.2019 को अपराहन 04:30 बजे से 06:00 बजे तक वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से सम्पन्न समीक्षा बैठक के कार्यवृत्त के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में दिनॉक 09 जुलाई 2019 को प्रदेश के समस्त जनपदों में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों की वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से समीक्षा की गई। वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग में मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, वरिष्ठ सलाहकार, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, संयुक्त निदेशक—टी0बी0, संयुक्त निदेशक—वी0बी0डी0, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महानिदेशालय एवं राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्य अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। मण्डल / जनपद स्तर से समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, मुख्य चिकित्साधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक / अधीक्षिका—जिला स्तरीय चिकित्सालय, जनपद स्तरीय अधिकारी एवं प्रबंधकों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

उक्त के क्रम में समीक्षा बैठक का अनुमोदित कार्यवृत्त पत्र के साथ संलग्न कर आपको इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि कार्यवृत्त में दिये गये निर्देशों का नियमानुसार अनुपालन सुनिश्चित करें तथा अनुपालन आख्या प्रमुख सचिव, महानिदेशालय एवं मिशन निदेशक कार्यालय को 10 दिनों के अन्दर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक—अनुमोदित कार्यवृत्त।

भवदीया,

(डा0 अनामिका मिश्रा)
महाप्रबंधक, एम0 एण्ड ई0

पत्रांकः—एस.पी.एम.यू. / एन.एच.एम. / एम.एण्ड ई. / 2019—20 / 16 / तद्दिनांकः

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
2. निजी सचिव, मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
3. निजी सचिव, अपर मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
4. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश।
5. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. वरिष्ठ सलाहकार, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त प्रमुख / मुख्य चिकित्सा अधीक्षक / अधीक्षिका, जिला पुरूष / महिला / संयुक्त चिकित्सालय, उ0प्र0।
10. वित्त नियंत्रक, अधिशासी अभियन्ता, समस्त महाप्रेबन्धक एवं उपमहाप्रबंधक, एस.पी.एम.यू.,एन.एच.एम.,उ0प्र0।
11. समस्त मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक / जिला कार्यक्रम प्रबंधक, एन.एच.एम. उत्तर प्रदेश।

(डा0 अनामिका मिश्रा)
महाप्रबंधक, एम0 एण्ड ई0

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

1. **समस्त मण्डलीय अपर निदेशक,** चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
2. **समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,** उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः–एस.पी.एम.यू. / एन.एच.एम. / एम.एण्ड ई. / 2019–20 / 16 / दिनांकः 16-07-19

विषयः–चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों की दिनांक 09.07.2019 को अपराहन 04:30 बजे से 06:00 बजे तक वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से सम्पन्न समीक्षा बैठक के कार्यवृत्त के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में दिनॉक 09 जुलाई 2019 को प्रदेश के समस्त जनपदों में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों की वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से समीक्षा की गई। वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग में मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, वरिष्ठ सलाहकार, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, संयुक्त निदेशक–टी0बी0, संयुक्त निदेशक–वी0बी0डी0, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महानिदेशालय एवं राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्य अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। मण्डल / जनपद स्तर से समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, मुख्य चिकित्साधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक / अधीक्षिका–जिला स्तरीय चिकित्सालय, जनपद स्तरीय अधिकारी एवं प्रबंधकों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

उक्त के क्रम में समीक्षा बैठक का अनुमोदित कार्यवृत्त पत्र के साथ संलग्न कर आपको इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि कार्यवृत्त में दिये गये निर्देशों का नियमानुसार अनुपालन सुनिश्चित करें तथा अनुपालन आख्या प्रमुख सचिव, महानिदेशालय एवं मिशन निदेशक कार्यालय को 10 दिनों के अन्दर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–अनुमोदित कार्यवृत्त।

भवदीया,

(डा0 अनामिका मिश्रा)
महाप्रबंधक, एम0 एण्ड ई0

पत्रांकः–एस.पी.एम.यू. / एन.एच.एम. / एम.एण्ड ई. / 2019–20 / 16 / 3456-2 (11) तद्दिनांकः

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
2. निजी सचिव, मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
3. निजी सचिव, अपर मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
4. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश।
5. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. वरिष्ठ सलाहकार, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त प्रमुख / मुख्य चिकित्सा अधीक्षक / अधीक्षिका, जिला पुरूष / महिला / संयुक्त चिकित्सालय, उ0प्र0।
10. वित्त नियंत्रक, अधिशासी अभियन्ता, समस्त महोप्रबन्धक एवं उपमहाप्रबंधक, एस.पी.एम.यू.,एन.एच.एम.,उ0प्र0।
11. समस्त मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक / जिला कार्यक्रम प्रबंधक, एन.एच.एम. उत्तर प्रदेश।

(डा0 अनामिका मिश्रा)
महाप्रबंधक, एम0 एण्ड ई0

वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग दिनॉक 09 जुलाई 2019 का कार्यवृत्त

प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में दिनॉक 09 जुलाई 2019 को प्रदेश के समस्त जनपदों में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों की वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से समीक्षा की गई। वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग में मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, वरिष्ठ सलाहकार, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, संयुक्त निदेशक–टी0बी0, संयुक्त निदेशक–वी0बी0डी0, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महानिदेशालय एवं राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्य अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। मण्डल/जनपद स्तर से समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, मुख्य चिकित्साधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका–जिला स्तरीय चिकित्सालय, जनपद स्तरीय अधिकारी एवं प्रबंधकों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग बैठक के दौरान दिये गये निर्देश निम्नवत हैं–

माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किये जाने वाले जनपदीय भ्रमण की तैयारियों से सम्बन्धित निर्देश–

1. माननीय मुख्यमंत्री जी के जनपदीय भ्रमण से पूर्व कार्यक्रमों/गतिविधियों की प्रगति से सम्बन्धित प्रस्तुतीकरण/रिपोर्ट तैयार करवा लें तथा उसके आधार पर पूर्ण तैयारी के साथ समीक्षा बैठक/स्थलीय भ्रमण के दौरान उपस्थिति सुनिश्चित करें।
2. संचालित कार्यक्रमों/गतिविधियों के विषय में पूर्ण जानकारी रखें तथा माननीय मुख्यमंत्री जी के जनपदीय भ्रमण के दौरान पूछे जाने वाले प्रश्नों का समुचित उत्तर देने का प्रयास करें।
3. मुख्य चिकित्साधिकारी, महराजगंज, देवरिया एवं कुशीनगर के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जनपद के भ्रमण के दौरान संचारी रोग नियंत्रण अभियान की समुचित जानकारी न होने पर प्रमुख सचिव द्वारा घोर नाराजगी व्यक्त की गयी तथा समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया गया कि कार्यों के प्रति उदासीनता/लापरवाही होने पर सम्बन्धित के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
4. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जनपद स्तर पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा किये जा रहे अच्छे कार्यों को मीडिया के माध्यम से आम जनमानस में प्रसारित करवाना सुनिश्चित करें।
5. नीति आयोग मल्टीसेक्टोरल ड्राइव है जिसमें स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त अन्य विभागों जैसे–शिक्षा, आई0सी0डी0एस0, पंचायती राज इत्यादि के साथ समन्वय स्थापित करते हुये सभी की सहभागिता के द्वारा कार्यक्रम को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

नीति आयोग द्वारा उपलब्ध करायी गयी रिपोर्ट के संकेतकों से सम्बन्धित निर्देश–

6. नीति आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में स्वास्थ्य मानकों के आधार पर उत्तर प्रदेश की स्थिति को न्यूनतम प्रदर्शित किया गया है जो कि अत्यन्त ही चिंताजनक है एवं कार्यों के प्रति उदासीनता परिलक्षित करता है। निर्देशित किया गया कि एच0एम0आई0एस0 पोर्टल पर गुणवत्तापूर्ण डाटा अपलोड कराने के साथ–साथ विभिन्न पोर्टलों पर डाटा की स्थिति में सुधार करने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें। साथ ही साथ चिकित्सालयों की एच0एम0आई0एस0 पोर्टल पर गुणवत्तापूर्ण डाटा की फीडिंग ससमय किया जाना सुनिश्चित करें।

7. टी0बी0 उपचार दर/संस्थागत प्रसव इत्यादि में निजी क्षेत्र के आंकडों को सम्मिलित करते हुये, डाटा फीडिंग की स्थिति की समीक्षा करें तथा गुणवत्तापूर्ण डाटा को पोर्टल पर अपलोड करवाना सुनिश्चित करें। ड्राइव चलाकर डाटा फीडिंग का कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
8. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी सुनिश्चित करें कि संस्थागत प्रसव एवं नियमित टीकाकरण में लक्ष्य के अनुरूप उपलब्धि/प्रगति हो तथा सम्बन्धित डाटा की फीडिंग भी पोर्टल पर ससमय सुनिश्चित की जाये।
9. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक टी0 बी0 कार्यक्रम के अन्तर्गत **Key Indicators (TB Notification Rate, Outcome assign, Treatment Success Rate & DBT Payment)** की नियमित रूप से समीक्षा करना सुनिश्चित करें।
10. **Drug Resistant Tuberculosis Treatment Center (DRTB Center)** के क्रियान्वयन की समीक्षा करें, जिन जनपदों में **DRTB Center** क्रियाशील नहीं हैं, वहां पर शीघ्रातिशीघ्र सेण्टर को क्रियाशील किया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही साथ उपचारित रोगियों की डाटा फीडिंग करवाना भी सुनिश्चित करें।

संचारी रोग नियंत्रण अभियान से सम्बन्धित निर्देश–

11. संचारी रोग नियंत्रण अभियान के अन्तर्गत प्रत्येक सप्ताह शनिवार को अभियान की समीक्षा बैठक प्रत्येक जनपद पर करते हुये प्रत्येक सोमवार को सम्बन्धित प्रारूप पर सूचना/रिपोर्ट राज्य स्तर पर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें तथा जिलाधिकारी के साथ भी सूचना/रिपोर्ट को साझा करें।
12. डब्ल्यू0एच0ओ0 की मॉनीटरिंग रिपोर्ट के अनुसार समुदाय में अभियान से सम्बन्धित जागरूकता की कमी है तथा साफ–सफाई भी नहीं की जा रही है। इससे परिलक्षित हो रहा है कि अभियान में समस्त विभागों के द्वारा समन्वय स्थापित करते हुये कार्य नहीं किया जा रहा है। निर्देशित किया गया कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा अन्य विभागों से समन्वय स्थापित करते हुये दिशा–निर्देशों के अनुसार कार्य सम्पादित करवाना सुनिश्चित करें।

अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु–

13. प्रमुख सचिव द्वारा निर्देशित किया गया कि **Civil Registration System** को सुदृढ किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जानी सुनिश्चित करें। सरकारी चिकित्सालय में होने वाले समस्त जीवित जन्मों का पंजीकरण **Civil Registration System** में किया जाना सुनिश्चित करें।
14. आयुष्मान भारत के अन्तर्गत समस्त लाभार्थियों को प्लास्टिक कार्ड का वितरण सुनिश्चित करें। साथ ही साथ नियमानुसार समस्त लाभार्थियों को उपचार की सुविधा उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
15. जनपदों में स्थित ई0टी0सी0 में उपकरणों इत्यादि की व्यवस्था/इंस्टालेशन कराते हुये 31 जुलाई तक नियमानुसार क्रियाशील किया जाना सुनिश्चित करें तथा **District Surveillance Unit** के सदस्यों को किसी भी दशा में अन्य गतिविधियों में न लगायें, जिससे **District Surveillance Unit** के कार्यों में व्यवधान उत्पन्न न हो।
16. मानसून का प्रारम्भ हो गया है, अतः बाढ इत्यादि से सम्बन्धित रोगों की रोकथाम हेतु आवश्यक तैयारियां जैसे–ब्लीचिंग पावडर, एण्टी स्नैक वेनम इत्यादि की पर्याप्त व्यवस्था करना सुनिश्चित करें। विभिन्न जनपदों में भिन्न–भिन्न संक्रामक रोगों की व्यापकता होती है। सम्बन्धित जनपदों को संक्रामक रोगों से बचाव एवं उपचार से सम्बन्धित तैयारियां करने के निर्देश दिये गये।

17. चिकित्सालयों में चिकित्सकों द्वारा बाहर से दवाइयां न लिखी जायें। चिकित्सालयों में ई0डी0एल0 के अनुसार औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करें तथा प्रत्येक मरीज को समुचित चिकित्सा सेवायें उपलब्ध करायी जायें।
18. चिकित्सालयों में स्थापित की गयी हैल्प डैस्क को समुचित स्थान दिया जाना सुनिश्चित करें तथा यह भी सुनिश्चित करें कि हैल्प डैस्क तक आम जनमानस आसानी से पहुंच सके।
19. कार्यरत मानव संसाधन के मानदेय का भुगतान ससमय नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित करें। राज्य स्तर से पर्याप्त धनराशि जनपदों को उपलब्ध करायी जा रही है जिसका उपभोग दिशा–निर्देशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित करें।
20. जनपदों में अवनि परिधि द्वारा उपलब्ध कराये गये मानव संसाधन के मानदेय भुगतान पर महानिदेशालय द्वारा कार्यवाही की जा रही है, अतः अपनी आवश्यकतानुसार प्रस्ताव महानिदेशालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

अन्त में निर्देशित किया गया कि उक्त समस्त बिन्दुओं पर नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।